



क्रमांक/यूआईटी-आरजीपीवी/नोडल/2022/

4246

भोपाल, दिनांक 19/10/2022

प्रति

✓ समस्त प्राचार्य/संचालक,
अशासकीय संस्था नोडल केन्द्र 20478 आरजीपीवी से सम्बद्ध
जिला-भोपाल।
(मध्य प्रदेश)

विषय :-पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति NIC PORTAL 2.0 एवं MPTAAS PORTAL पर ऑनलाइन
वेरिफिकेशन हेतु लम्बित आवेदनों के संबंध में।

संदर्भ :-कार्यालय कलेक्टर (अनुसूचित जाति एवं जनजातीय कार्य विभाग) भोपाल का पत्र
क्रमांक/आदि.वि./छात्रवृत्ति/2022-23/2959 भोपाल, दिनांक 18/10/2022।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में अवगत होकि, शिक्षण सत्र 2021-22 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता योजनांतर्गत लम्बित प्रकरणों को पत्र जारी होने की तिथि से 03 दिवस के अन्दर निराकरण किये जाने हेतु आदेशित किया गया।

अतः निर्देशित किया जाता है कि, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता योजनांतर्गत के लम्बित प्रकरणों को तत्काल नोडल केन्द्र 20478 आरजीपीवी, भोपाल को उपलब्ध करावें। ताकि पोर्टल पर प्रदर्शित लम्बित प्रकरणों का स्थाई रूप से निराकरण किया जा सके। संबंधित महाविद्यालय प्राचार्य/संचालक पत्र जारी होने की तिथि से 03 दिवस के अन्दर लम्बित प्रकरणों के संबंध में स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता को तत्काल प्रस्तुत करें। लम्बित प्रकरणों का निराकरण न कराये जाने के फलस्वरूप नोडल केन्द्र द्वारा एक तरफा कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रमुख की होगी।

अतः नोडल केन्द्र के निर्देशों का कड़ाई से पालन करें।

कुलसचिव

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
भोपाल

पृष्ठा. क्रमांक/यूआईटी-आरजीपीवी/नोडल/2022/

भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. आयुक्त, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास 35 राजीव गांधी भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
2. संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास 35 राजीव गांधी भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. कलेक्टर महोदय, पुराना सचिवालय, जिला-भोपाल।
4. सहायक आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, पुराना सचिवालय, भोपाल।
5. निज सचिव कुलपति महोदय, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल।

कुलसचिव

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
भोपाल